

पत्राक-.....14/c.....

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

आर. के. महाजन, मा.प्र.से.
प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
विकास भवन, पटना-800015

सेवा में,

सभी निदेशक,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:-.....14/01/2015.....

विषय:- समय पर प्रतिशपथ पत्र दायर करने एवं न्यायादेश के अनुपालन करने के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि माननीय उच्च न्यायालय में बड़ी संख्या में रिट याचिका में समय पर शपथ पत्र दाखिल नहीं होने कारण माननीय न्यायालय को निर्णय लेने में असुविधा होती है। कई मामलों में माननीय न्यायालय के द्वारा विभाग के इस विलम्ब के कारण क्षोभ व्यक्त किया गया है। इस हेतु निम्नांकित निदेश दिया जाता है :-

- (i) सभी निदेशालय में एक नोडल पदाधिकारी के नेतृत्व में पूर्व से विधि कोषांग कार्य कर रहा है। कोषांग, आई०डब्ल्यू०डी०एम०एस० की मदद से दायर होने वाली याचिका की सूची प्रति दिन अधतन करेगा एवं निर्धारित समय तक उसमें प्रतिशपथ पत्र दाखिल करवाना सुनिश्चित करेगा। सरकारी अधिवक्ता के द्वारा भी पत्राचार, फोन एवं फैंक्स से सूचना दी जाती है, जिसपर तुरंत कार्रवाई की जाय।
- (ii) कुछ मामलों में विभाग के स्तर पर नीतिगत निर्णय लेने होते हैं। वित्त विभाग या अन्य विभाग के अभिमत की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में संचिका तुरंत उपस्थापित की जाय और निर्णय लेकर ससमय शपथ पत्र दायर किया जाय।
- (iii) अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर रिट वाद, अवमाननावाद एल०पी०ए, एस०एल०पी० की पाक्षिक समीक्षा होती है। 11.01.2015 को हुई पिछली समीक्षा में स्पष्ट हुआ है कि पूर्व की तुलना में शपथ पत्र दायर करने की संख्या बढ़ी है और अवमाननावाद कम हुए हैं, परन्तु वर्तमान स्थिति भी संतोषजनक नहीं है।

Name of the Directorate	No. of Pending Cases of CWJC	No. of Pending Cases of MJC
1 BEP	37	0
2 Primary Education	406	48
3 Secondary Education	642	33
4 Higher Education	297	34
5 Research & Training	28	1

- (iv) निदेशक (उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा) विशेष अभियान चलाकर एम०जे०सी०, में माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन कर (अगर एल०पी०ए०/review दायर नहीं किया गया है) कारण पृच्छा दायर करायेंगे तथा इसकी व्यवस्था करेंगे कि न्यायादेश का समय पर अनुपालन हो ताकि एम०जे०सी० के मामले कम किये जा सकें।

विश्वासभाजन


(आर. के. महाजन)
प्रधान सचिव,